FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

मूलाराम वगैरा. **बनाम** **तहसीलदार घंटियाली**

किस्म मुकदमा 152 सीपीसी. **मु.नं.**......02/2024...... **सन**............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.1.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत विरूद्व अप्रार्थी के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुनी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम चिमाणा के मूल खसरा नंबर 241 के संबंध में तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पेश किया था। उक्त वादग्रस्त भूमि की प्रार्थीगण ने अपने हिस्से एवं कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की जाति जाट के स्थान पर मेघवाल टंकित कर दिया एवं प्रार्थी संख्या 4 रामूराम पुत्र नथाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र मोडाराम टंकित कर दिया गया। इसलिए उक्त निर्णय में प्रार्थीगण के सही नाम व जाति अनुसार पुनः संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के निर्णय में सेवन से प्रार्थी संख्या 1 ता 3 जाति जाट के स्थान पर मेघवाल एवं प्रार्थी संख्या 4 रामूराम पुत्र नथाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र मोडाराम टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 181/2020 अनवान मूलाराम वगैरा. बनाम तहसीलदार घंटियाली में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की जाति मेघवाल के स्थान पर जाट व अप्रार्थी संख्या 4 रामूराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र नथाराम पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:14 IST
Reason: SelfAttested